प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीति के कार्यान्वयन और गृह मंत्रालय तथा उसके विभागों और कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देनी है।

विवरण

1. गृह मंत्री	अध्यक्ष
2. गृह राज्य मंत्री (एस)	उपाध्यक्ष
3. गृह राज्य मंत्री (पीपी)	सदस्य
4. गृह सचिव	सदस्य
5. सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
6. अपर सचिव (पी)	सदस्य
7. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	सदस्य
8. निदेशक, आई० बी०	सदस्य
9. महानिदेशक, आई टी बी पी	सदस्य
10. महानिदेशक, बी एस एफ	सदस्य
11. महानिदेशक, सी आर पी एफ	सदस्य
12. महानिदेशक, सी आई एस एफ	सदस्य
13. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	सदस्य
14. महानिदेशक, असम राइफल्स	सदस्य
15. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
16. डा० रुद्र प्रताप सिंह, सदस्य (राज्यसभा)	सदस्य
(संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य)	
17. श्री रामदेव राय, सदस्य (लोक सभा) (सं० रा० भा० समिति के सदस्य)	सदस्य
18. प्रो० (श्रीमती) चन्द्र भानु देवी, सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
19 श्री डाल चन्द्र जैन, सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
20. श्री कान्छूचरण लैंका सदस्य (राज्यसभा)	सदस्य
21. श्री शिव प्रताप मिश्र, सदस्य (राज्यसभा)	सदस्य
22. श्री के० के० कृष्णन् नम्बूदिरी	सदस्य
23. डा० लक्ष्मी नारायण दूबे	सदस्य
24. डा० मलिक मोहम्मद	सदस्य
25. प्रो० एम० राजेश्वरय्या	सदस्य
26. श्री मुकुल चन्द पाण्डेय	सदस्य
27. श्री कृष्णमाधव चौधरी	सदस्य
28. श्री मदन लाल गंगोहरि	सदस्य
29. अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद	सदस्य
30. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था	सदस्य

उप सचिव (प्रशासन) इस समिति के सदस्य-सचिव हैं।

राजस्थान में प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता

186. **श्री संतोष बागड़ोदिया:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिये देश के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे कुल कितने स्वयंसेवी संगठन हैं और उनमें से कितने स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तथा प्रत्येक मामले में इस तरह की कितनी-कितनी राशि की सहायता दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड०आर० अंसारी): (क) मंत्रालय, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान में भाग लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों को पर्यावरणीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अभियान के उद्देश्यों में प्रदूषण का निवारण भी शामिल है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में पर्यावरणीय गतिविधियों में 13 स्वैच्छिक एजेंसियां लगी हुई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई उनकी संख्या और उनको दी गई सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० संख्या	गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई वित्तीय सहायता
1	2	3
	1986-87	
1.	उदयपुर पर्यावरणीय समूह, उदयपुर	10,000/-रुपये
2.	पर्यावरण परिषद, कोटा	10,600/-रुपये
3.	ग्राम विकास सेवा केन्द्र, जिला जोधपुर	6,350/-रुपये
4.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर	3,600/-रुपये
5.	"सीकोडिकोन" विकास केन्द्र, जयपुर	6,300/-रुपये
6.	सेवा मन्दिर, उदयपुर	6,800/-रुपये
7.	सजीव सेवा समिति, उदयपुर	24,500/-रुपये
8.	तरूण भारत संघ, जिला अलवर	6,750/-रुपये
9.	उदेश्वर विकास मंडल, उदयपुर	30,000/-रुपये
10.	अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, जोधपुर	25,000/-रुपये
	कुल :	1,29,900/-रुपये
	1987-88	
1.	ग्रामीण विकास और सामाजिक कार्य प्रतिष्ठान, राजस्थान	8,000/-रुपये
2.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर	26,750 /-रुपये
3.	पर्यावरण परिषद, कोटा	18,500/-रुपये
4.	राजस्थान विज्ञान शिक्षा परिषद, कोटा	14,000/-रुपये
5.	सजीव सेवा समिति, उदयपुर	28,600/-रुपये
6.	सामाजिक कार्य और अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	1,39,000/-रुपये
7.	तरूण भारत संघ, अलवर	17,000/-रुपये
8.	उबेश्वर विकास मंडल, उदयपुर	32,550/-रुपये
9.	अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, जोधपुर	25,000/-रुपये
	कुल :	3,09,400/-रुपये
	1988-89	
1.	राजस्थान विज्ञान शिक्षा परिषद, कोटा	14,000/-रुपये
2.	सजीव सेवा समिति, उदयपुर	30,000/-रुपये
3.	सेवा मंदिर, उदयपुर	55,000/-रुपये
4.	प्रयास, गांव देवगढ़ (देवलिया), चित्तौड़गढ़ जिला	14,000/-रुपये
5.	उबेश्वर विकास मंडल, उदयपुर	35,000/-रुपये
6.	प्रयास, गांव सोलावटा, जयपुर जिला	47,000/-रुपये
7.	जन कल्याण प्रौढ़ शिक्षण समिति, जिला सवाई माधोपुर	12,500/-रुपये

1	2	3
8.	तरूण भारत संघ, जिला अलवर	64,300/-रुपये
9.	राजस्थान पर्यावरण परिरक्षण समिति जयपुर	75,000/-रुपये
	कुल :	3,46,800/-रुपये

Disputes over Revision of Electoral Rolls

187. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether the long-pending disputes over the revisions of electoral rolls have since been resolved;

(b) the nature of the disputes;

(c) what is the attitude of the Central Government in regard to the disputes; and

(d) what steps have so far been taken for the resolution of the disputes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANSRAJ BHARDWAJ):(a) to (d) It is not clear which are the disputes referred to. The revision of electoral rolls by the Election Commission is a continuous process. In order to keep the electoral rools up-to-date and in as perfect a condition as possible the Election Commission undertakes an annual revision of the rolls. Well settled procedures laid down by the Election Commission exist for such a revision of electoral rolls and also for rectifying deficiencies which may come to notice through a special revision.

पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

188. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) औरंगाबाद में न्यायपीठ स्थापित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने पुणे में न्यायपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर जोर नहीं दिया है।

कर अपवंचकों का पता लगाने के लिए बम्बई में मारे गए छापे

189. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कर-अपवंचकों और काले धन के जमाखोरों के आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों पर हाल में छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 1989 के महीने के दौरान आयकर विभाग ने बम्बई में 147 तलाशियां लीं। इन